

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग ।

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2015

संख्या-2/वि0-20-11/2014 गृ0आ0...../राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के क्रमशः अर्द्धसरकारी पत्र सं0 Prncm/2015/1651 दिनांक 07.07.2015 एवं Prncm/2015/1656 दिनांक 09.07.2015 में निहित अनुरोध के आलोक में श्री शम्स अफरोज, बिहार पुलिस सेवा, सम्प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, बिहारशरीफ, नालंदा की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन सौंपी जाती है ।

2. उक्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि दिल्ली सरकार के अन्तर्गत पदग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए होगी ।
3. इस प्रतिनियुक्ति हेतु श्री शम्स अफरोज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, बिहारशरीफ, नालंदा की सहमति प्राप्त है ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(रामजीवन सत्यार्थी)
सरकार के उप सचिव

स्पीड पोस्ट

ज्ञांपाक-2/वि0-20-11/2014गृ0आ0.....5059...../ पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:- गृह सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली-110002/श्री राजेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0, मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली-110002 को उनके अर्द्धसरकारी पत्र सं0 Prncm/2015/1651 दिनांक 07.07.2015 एवं Prncm/2015/1656 दिनांक 09.07.2015 के प्रसंग में /मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना/पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/ पुलिस अधीक्षक, नालंदा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालंदा/ श्री शम्स अफरोज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, बिहारशरीफ, नालंदा/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्र0पदा0, प्रशाखा-5, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि गत्यादेश शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय ।


सरकार के उप सचिव